फोनः 0291 -5153702
0291 -5153704

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, करवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांकः- रा.आ.वि./एके/एफ-2/(**BOM**)/(01)/V/06-07/ 10185-10201 दिनाँकः 18-3-26

1. प्रो. (वैद्य) गोविन्द सहाय शुक्ल, अध्यक्ष एवं कुलगुरू, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. श्री पब्बाराम विश्नोई, मा. विधायक, फलौदी (जोधपुर)
3. श्री अतुल भंसाली, मा. विधायक, जोधपुर (जोधपुर)
4. प्रमुख शासन सचिव, आयुष विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5. वैद्य कमलेश कुमार शर्मा, प्रो-वाईस चांसलर, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर
6. डॉ. ए रघु, उपनिदेशक जनरल (आयुष), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, कमरा नं.- 503-डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001
7. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय , पी.जी.आई.ए., जोधपुर
8. प्रो. मोहम्मद आजम अंसारी, अधिष्ठाता, यूनानी संकाय एवं प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
9. प्रो. जयराम चौधरी, अधिष्ठाता, होम्योपैथी संकाय, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
10. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
11. डॉ. आनन्द शर्मा, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
12. प्रो. संजीव शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
13. प्रो. अशोक कुमार शर्मा, प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
14. प्रो. चन्दन सिंह, प्राचार्य, पी.जी.आई.ए, जोधपुर
15. प्रो. वासुदेव पारीक, प्राचार्य, पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, श्रीगंगानगर
16. प्रो. तनुज राजवंशी, प्रोफेसर, मेटेरिया मेडिका विभाग, एस.के.एच.एम.सी., जयपुर
17. कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विषय :- डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की प्रबन्ध बोर्ड का 33वां उपवेशन दिनाँक 16.03.2026 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की प्रबन्ध बोर्ड का **33**वां उपवेशन, जो दिनाँक **16** मार्च **2026** को दोपहर **02.00** बजे व्यक्तिशः/विडियो कॉफ्रेंस द्वारा विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही विवरण आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। यदि इसमें कोई संशोधन हो तो अपने सुझाव शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत कराने का श्रम करावें।

संलग्नः कार्यवाही विवरण पृष्ठ संख्या 2 से 7 तक।

भवदीय

कुलसचिव

Signature valid
Digitally signed by Akhilesh Kumar Pipal
Designation : Registrar
Date: 2026.03.18 12:24:51 IST

BOM - 01

RajKaj Ref No.: 21113932

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रबन्ध बोर्ड का 33वां उपवेशन

16 मार्च 2026

कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर

फोनः 0291 -2795302
0291 -2795304

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांकः- रा.आ.वि./एके/एफ-2/(**BOM**)/(01)/V/06-07/ दिनाँकः

कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड का **33**वां उपवेशन, जो दिनाँक **16** मार्च **2026** को दोपहर **02.00** बजे विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण व्यक्तिशः/विडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हुए :-

1. प्रो. (वैद्य) गोविन्द सहाय शुक्ल, अध्यक्ष एवं कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. श्री पब्बाराम विश्नोई, मा. विधायक, फलौदी (जोधपुर)
3. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
4. प्रो. चन्दन सिंह, प्राचार्य, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
5. कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हुए :-

1. प्रमुख शासन सचिव, आयुष विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. डॉ. ए रघु, उपनिदेशक जनरल (आयुष), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, कमरा नं.- 503-डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001
3. प्रो. मोहम्मद आजम अंसारी, अधिष्ठाता, यूनानी संकाय एवं प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
4. प्रो. जयराम चौधरी, अधिष्ठाता, होम्योपैथी संकाय, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
5. प्रो. अशोक कुमार शर्मा, प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
6. प्रो. संजीव शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
7. डॉ. आनन्द शर्मा, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
8. प्रो. वासुदेव पारीक, प्राचार्य, पंजाब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, श्रीगंगानगर
9. प्रो. तनुज राजवंशी, प्रोफेसर, मेटेरिया मेडिका विभाग, एस.के.एच.एम.सी., जयपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नही हो सके :-

1. वैद्य कमलेश कुमार शर्मा, प्रो-वाईस चांसलर, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर
2. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
3. श्री अतुल भंसाली, मा. विधायक, जोधपुर (जोधपुर)

दिनाँक **16** मार्च **2026** को प्रबन्ध बोर्ड के **33**वें उपवेशन में उपस्थित सदस्य महानुभावों का सर्वप्रथम कुलगुरू महोदय एवं कुलसचिव द्वारा स्वागतोपरान्त एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
1.	प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनाँक 15.05.2025 के कार्यवाही विवरण एवं अनुपालना का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
2.	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक 10.03.2025, 16.07.2025, 16.10.2025, 12.12.2025 एवं 23.02.2026 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
3.	वित्त एवं लेखा समिति उपवेशन दिनांक 15.03. 2025, 02.08.2025 एवं 16.02.2026 की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
4.	परीक्षा/गोपनीय शाखा से सम्बन्धित एजेण्डा पर विचार-विमर्श।	
	1. विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य/पुनर्मूल्यांकन परीक्षा परिणाम पश्चात् संवीक्षा/उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु नियम एवं शर्तों के संबंध में प्रस्ताव :- • अभ्यर्थी विश्वविद्यालय वेबसाईट पर मुख्य/पुनर्मूल्यांकन परीक्षा परिणाम के पश्चात् 07 दिवस के भीतर संवीक्षा आवेदन-पत्र ऑनलाइन निर्धारित शुल्क 1000/- प्रति उत्तर-पुस्तिका प्रति परीक्षक जमा कराकर आवेदन कर सकेंगे। • ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा पश्चात् अभ्यर्थी को ऑनलाइन ही उत्तर-पुस्तिका उपलब्ध करवाई जाकर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा उत्तर-पुस्तिका की छायांप्रति प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर ही ऑनलाईन ही आपत्ति दर्ज करवाई जा सकेगी, अन्यथा इसके उपरांत कोई भी आपत्ति दर्ज/मान्य नहीं होगी। 07 दिवस पश्चात् उत्तर- पुस्तिका हटा ली जावेगी। • संवीक्षा में उत्तर-पुस्तिका में प्रदत्त अंकों की गणना में त्रुटि एवं किसी प्रश्न के मूल्यांकन नहीं होने की स्थिति में ही आपत्ति मान्य होगी। • ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात् से 07 दिवस	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

86

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
	अथवा उसके पश्चात् संबंधित आवेदनकर्ता को परीक्षा फॉर्म में दर्ज ई-मेल पर उत्तर-पुस्तिका प्रदर्शित करने की सूचना भेजी जाएगी। • संवीक्षा में उत्तर-पुस्तिका में चाहने वाला आवेदक को प्रदत्त अंकों में मूल्यांकन पश्चात् अंकों की गणना अथवा बहुवैकल्पिक प्रश्नों में उत्तर-कुंजिका निर्माता द्वारा उपलब्ध करवाई गई कुंजिका अनुसार प्रदत्त अंकों में त्रुटि होने की स्थिति में कमी/बढोतरी की जाएगी। • संवीक्षा में आवेदक अति लघुत्तरात्मक/लघुत्तरात्मक/निबन्धात्मक प्रश्नों में प्रदत्त अंकों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी।	
	2. विद्या-परिषद् उपवेशन दिनांक 25.10.2024, प्रबन्ध बोर्ड उपवेशन दिनांक 19.12.2024 एवं विद्या-परिषद् उपवेशन 16.07.2025 में पारित किए गए सूचना का अधिकार-2005 नियमों को निरस्त किया जाकर केन्द्र/राज्य/विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस जोधपुर, मई 14, 2010 के बिन्दू संख्या 0.25 के उपबिन्दू (4) के नियमानुसार लागू किया जाना प्रस्तावित है।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
5.	संस्थापन शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार-विमर्श।	
	1. विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/जमादार इत्यादि हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना 11.12.2024 अनुसार पे लेवल संशोधन बाबत।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
	2. विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा अनुमत यूटीबी/आवश्यक अस्थायी आधार पर स्वीकृत पदों पर शिक्षकों/कार्मिकों की नियुक्ति एवं समयावधि वृद्धि बाबत।	1. यू.टी.बी. पर नियुक्ति हेतु स्मरण-पत्र राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का अनुमोदन किया गया। 2. स्थाई नियुक्ति हेतु स्वीकृत पदों पर राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किए जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
	3. वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.12.2024 के अनुसार यूटीबी द्वारा नियुक्त प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर के मासिक समेकित पारिश्रमिक में अभिवृद्धि का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
	4. विश्वविद्यालय में कार्यरत मंत्रालयिक कार्मिकों यथा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक की पदोन्नति का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
	5. राजस्थान मृत राज्य कर्मचारी आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत परिविक्षाधीन नियुक्त कनिष्ठ सहायक श्री अखिलेश्वर सिंह के कम्प्यूटर अनुप्रयोग मे प्रवीणता तिथि से नियमितिकरण की कार्यवाही का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
	6. उपशासन सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक 01538 दिनांक 05.01.2025 एवं सचिव, राज्यपाल सचिवालय के पत्र दिनांक 31.12.2025 के तहत अशैक्षणिक पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से करवाये जाने पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
	7. प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस/अंशकालिक/ग्रेस्ट फैक्ल्टी की अस्थाई नियुक्ति पर विश्वविद्यालय के अधिनियम/ एनसीआईएसएम/एनसीएच/यूजीसी के प्रावधान के अनुरूप नियुक्ति की अनुसंशा हेतु गठित समिति का अनुमोदन।	गठित समिति का सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
6.	विश्वविद्यालय के संघटक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बी.एससी.नर्सिंग (आयुर्वेद) महाविद्यालय, जोधपुर द्वारा शैक्षणिक स्टाफ की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।	1. महाविद्यालय के शैक्षणिक पदों की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। 2. प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस/गेस्ट फैक्ल्टी के आधार पर पद भरे जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। 3. जिन संस्थानों में स्नातकोत्तर/पीएच.डी. पाठ्यक्रम संचालित है। उनमें बी.एससी. नर्सिंग आयुर्वेद कॉलेज के लिए शैक्षणिक स्टाफ की आवश्यकता के विचारार्थ एक कमेटी का गठन किए जाने हेतु सर्वसम्मति से कुलगुरू महोदय को अधीकृत किया गया। जिसकी अनुशंषा के आधार पर शिक्षकों की संख्या मानकों के अनुरूप तय किया जा सकें।
7.	अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	
	1. शून्य।	--

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ।